

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग,

क्रमांक प. 10(142)नविवि/3/2010

जयपुर दिनांक : 26.07.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर को रतन नगर (जिला चूरु) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:-

क्र. सं. ग्राम का नाम हिन्दी में

- 1 रतन नगर
- 2 ढाणी डूंगरसिंहपुरा
- 3 थैलासर (ढाणी डूंगरसिंहपुरा से रामगढ जाने वाली सडक के पश्चिम का क्षेत्र)

राज्यपाल के आदेश से

(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर ।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर ।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर ।
6. जिला कलेक्टर, चूरु ।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रतन नगर ।
8. रक्षित पत्रावली ।

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक